राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(16)पार्ट–II / परि / कंप्यू. / 2012 / 23521   जयपुर,दिनांकः 07/11/16

कार्यालय आदेश 40 / 2016

राजस्थान पुलिस द्वारा आमजन के लिए खोए हुए अभिलेख की सूचना ऑनलाईन दर्ज किये जाने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। इस सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले आवेदकों को विभागीय स्तर पर सेवा प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. राजस्थान पुलिस द्वारा www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाई गयी सुविधा के द्वारा नागरिक ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन पंजीकरण दस्तावेज तथा बस परमिट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।
2. वेबसाईट पर ऑनलाईन दर्ज की गयी गुमशुदगी रिपोर्ट की पावती (acknowledgement) जारी की जावेगी।
3. डुप्लिकेट अभिलेख जारी किये जाने से पूर्व संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन दर्ज की गयी गुमशुदगी रिपोर्ट का राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर सत्यापन किया जाना आवश्यक है। सत्यापन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।
4. राजस्थान पुलिस के वेबपोर्टल (www.police.rajasthan.gov.in) पर "Lost Article Report" menu के अंतर्गत "Retrieve" link पर क्लिक करें। प्राप्त स्क्रीन पर LR. NO. व वर्ष एवं रिपोर्ट में अंकित मोबाईल नंबर अथवा नागरिक द्वारा दर्ज ई–मेल पते को दर्ज कर "Search" बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत सत्यापन हेतु रिपोर्ट की प्रति डाउनलोड हो जावेगी।
5. डुप्लिकेट दस्तावेज हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदक की पहचान (Identity) सुनिश्चित करने का दायित्व डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने वाले जिला परिवहन अधिकारी का होगा।

नागरिक गणों की सुविधा के लिए जारी की गई इस सेवा के भरपूर उपयोग के लिए इसके आधार पर डुप्लिकेट दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना एवं जारी आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

शैलेन्द्र अग्रवाल
(परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव)

क्रमांकः एफ 25(16)पार्ट–II / परि / कंप्यू. / 2012 / 23522-26 जयपुर, दिनांकः– 07/11/16

प्रतिलिपिः

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .... ।
3. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी...................................... ।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (IT)

E:\SA\Letters & Notesheet\SA_UO_NOTE_2016_ashish.docx